

Wider by any members of

Date 23 SEP 2022  
Book No. 28510007



प्रपत्र-ख (2)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर समर्थक द्वारा दिये जाने वाला

शपथ-पत्र

मे प्रियंका कुमारी पति/पति अरुण कुमार

उम्र 35 वर्ष, \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर संघापत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 03 मोहल्ला ब्रह्मपुरा पोस्ट 10.7 थाना ब्रह्मपुरा

जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर संघापत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 03 से \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी समनाथ का समर्थक हूँ,

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर संघापत मुजफ्फरपुर के वार्ड 03 से \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

\*कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

\*मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है-
2. वाद संख्या अन्य
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई धाराएँ अन्य

अन्य  
नहीं  
शून्य

स्थान- मुजफ्फरपुर Contents of the Affidavit/Declaration solemnly affirmed and declared before me through the Deponent/Execution identified by Advocate  
तारीख- 24/09/2022 समर्थक का हस्ताक्षर प्रियंका कुमारी

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नेटरो पब्लिक ऑफिस कर्मचारी के समक्ष दस्तखत कराना।

23/09/2022  
SUNITA KUMARI  
ADVOCATE

2024

YL 0006709627

GOVERNMENT OF BIHAR  
e-Court Fee



DATE & TIME :

17-SEP-2022 11:52:33

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SAHAJ NETHAI UNITED

LOCATION :

CIVIL COURT MUZAFFARPUR

e-COURT RECEIPT NO :

BNCT1746223ML517

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BNCT1746223ML517

210



Warning About : The document is this e-Court receipt should be used as evidence in all courts and as evidence in the pending matters is illegal to produce. This receipt is given only after verification & holding by the Court.